



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11110987346

ग्राम: गुरैया			पटवारी हल्का: गुरैया			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157775 8217	594/1 (S)		15.3300 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-20(4)/2023-24, आदेश दि. 15/03/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित चरोखर



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11110987338

ग्राम: गुरैया			पटवारी हल्का: गुरैया			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विच्छेद तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157775 8274	593/1 (S)		28.6200 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-20(4)/2023-24, आदेश दि. 15/03/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित श्रीमान कले.महो.सागर के प्र.क्र.26 आ.के अनुसार पृथक की गई



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11110986972

ग्राम: गुरैया			पटवारी हल्का: गुरैया			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157775 8296	593/3 (S)		5.7000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-20(4)/2023-24, आदेश दि. 15/03/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित श्रीमान कले.महो.सागर के प्र.क्र.26 आ.के अनुसार पृथक की गई



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11110986966

ग्राम: गुरैया			पटवारी हल्का: गुरैया			तहसील: सागर			जिला: सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौलवी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलुंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157775 8195	590/2/ 1 (S)		4.9400 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग मध्य प्रदेश शासन शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0006/अ-20(3)/2021-22, आदेश दि. 12/11/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-20(4)/2023-24, आदेश दि. 15/03/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क्र. 1073/19(3) वर्ष 2019-20
ग्राम मझाज प.ह.नं. 53
तहसील देवरी जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर
जिला सागर (म.प्र.)
विक्रम
म.प्र.शासन

आवेदक

अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 12/3/2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील देवरी जिला सागर का प्रकरण क्रमांक-1742 बी/121 वर्ष 2019-20 मौजा मझाज प.ह.नं. 53 तहसील देवरी, वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी देवरी के माध्यम से प्राप्त हुआ।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवरी द्वारा यह प्रकरण न्यायालय के पत्र क्रमांक-898/री.कले./2019 सागर दिनांक 07.11.19 के संबंध में दर्ज कर प्रकरण में इस्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लिया गया पटवारी से रिपोर्ट मंगाई गई। तहसीलदार देवरी द्वारा प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2020 को तैयार कर ग्राम मझाज प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. देवरी की शासकीय भूमि ख.नं. 2 रकवा 28.33 हे. में से 19.73 हे. एवं ख.नं. 3 रकवा 107.84 हे. कुल रकवा 127.57 हे. भूमि आपचंद मध्यम परियोजना के बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की जाना उचित होना एवं आदेश दिनांक 22.07.2017 के द्वारा आरक्षित कुल भूमि 437.575 हे. में से शेष भूमि रकवा 310.00 हे. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शेष रहेगी प्रस्तावित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी देवरी को भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 28.02.2020 से सहमत होकर ख.नं. 02 रकवा 28.33 हे. में से 19.73 हे. एवं खसरा नंबर 03 रकवा 107.84 हे. कुल रकवा 127.57 हे. भूमि आपचंद मध्यम परियोजना के बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित किए जाने एवं आदेश दिनांक 22.07.17 के द्वारा आरक्षित कुल भूमि रकवा 437.57 हे. में से शेष रहे रकवा 310.00 हे. भूमि को कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शेष रखे जाना प्रस्तावित कर प्रकरण इस न्यायालय को भेजा गया।

अतः तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी देवरी के प्राप्त प्रस्ताव पर ग्राम मझाज प.ह.नं. 53 तहसील देवरी की निम्नानुसार भूमि :-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे. में)	आरक्षित रकवा (हे. में)	मद
01	मझाज	53	2	28.33	19.73	चारागाह शासकीय पहाड़ शासकीय
			3	107.84	107.84	
कुल रकवा					127.57	

का म.प्र.भू.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 237(3) के तहत मद परिवर्तन करते हुए कुल 127.57 हे. भूमि आपचंद मध्यम परियोजना के बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित की जाती है एवं प्रस्ताव अनुसार आदेश दिनांक 22.07.17 के द्वारा आरक्षित कुल भूमि रकवा 437.57 हे. में से 310.00 हे. भूमि कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना के बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु शेष रहेगी।

उक्त भूमि के आरक्षण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आरक्षित भूमि का नियत प्रयोजन में सपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

कलेक्टर
जिला-सागर

P.T.O.

ग्राम:मड़ज			पटवारी हल्का:चक्कपीपला			तहसील:देवरी			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे		1. भूमि के सिंचाई संबंध प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृत्त 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम नम्बरा (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदिश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1003762012 81CDUJDC4ZMZH0	3 (S)		107.8400 हेक्टेयर पहाड 107.8400 रु. 00								नि.प.के अनुसार पहाड चट्टान न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक 8495/री. कले./17 सागर दिनांक 10.07.2017 के अनुसार यह भूमि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक/8697/री. कले./17 सागर दिनांक 22.07.2017 के अनुसार यह भूमि कोपरा माध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आरक्षित की जाती है ।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी को जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईंज डॉक्यूमेंट के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



प्रिंट

ग्राम:मड़ाज			पटवारी हल्का:चक्कपीपला			तहसील:देवरी			जिला:सागर		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना/वृद्धि 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1002249731 81CF18DC4CHDHO	2 (S)		28.3300 हेक्टेयर चरागाह 28.33 रु. 0.00								जि.प.के अनुसार चरोखर न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक 8495/री. कले./17 सागर दिनांक 10.07.2017 के अनुसार यह भूमि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। न्यायालय कलेक्टर महो. जिला सागर के आदेश क्रमांक/8697/री. कले./17 सागर दिनांक 22.07.2017 के अनुसार यह भूमि कोपरा माध्यम सिंचाई परियोजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आरक्षित की जाती है।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली सईड कापी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



ब्लॉक सं.:	ग्राम: मड़ाज	हल्का: चक्कपीपला	तहसील: देवरी	जिला: सागर
सर्वेक्षण सं.:	2(S)	क्षेत्रफल: 28.3300 (हेक्ट.)	भू-राजस्व: 0.00	



भूस्वामी: (शासकीय)

मापांक 1:4000

0 50 100 150 200m

(हस्ताक्षर)

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।



ब्लॉक सं.:	ग्राम: मड़ाज	हल्का: चक्कपीपला	तहसील: देवरी	जिला: सागर
सर्वेक्षण सं.:	3(S)	क्षेत्रफल: 107.8400 (हेक्ट.)	भू-राजस्व: 0.00	
भूस्वामी: (शासकीय)			मापांक 1:4000 0 50 100 150 200m	
			(हस्ताक्षर)	

नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साईड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 11110988916


वर्ष: 2024-25

दिनांक: 31-05-2024 11:19:20



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	गुरैया	गुरैया	सागर	सागर
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल		भू. रा. श	
593/1(S)	28.6200(हेक्ट.)		0	

मध्यप्रदेश शासन (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था



Digitally signed by DS COMMISSIONER
LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.05.31 11:20:07 IST
Reason: Digital Extract of Land Record -
Map Copy
CLR No. : 11110988916

(हस्ताक्षर)




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख


सी.एल.आर नं. : 11110989301

वर्ष: 2024-25

दिनांक: 31-05-2024 11:19:32



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	गुरैया	गुरैया	सागर	सागर
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल		भू. रा. श	
594/1(S)	15.3300(हेक्ट.)		0	



भू-अभिलेख (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

Digitally signed by DS COMMISSIONER
LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.05.31 11:20:27 IST
Reason: Digital Extract of Land Record -
Map Copy
CLR No. : 11110989301

(हस्ताक्षर)




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

सी.एल.आर नं. : 11110988915

वर्ष: 2024-25

दिनांक: 31-05-2024 11:19:23



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	गुरैया	गुरैया	सागर	सागर
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू. रा. शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
590/2/1(S)	4.9400(हेक्टर.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भू-अभिलेख, भू-सूची, भू-सूचिका, भू-सूचिका, भू-सूचिका (शासकीय) वन विभाग मध्यप्रदेश शासन शासकीय संस्था

Digitally signed by DS COMMISSIONER
LAND RECORDS MADHYA PRADESH 1
Date: 2024.05.31 11:20:07 IST
Reason: Digital Extract of Land Record -
Map Copy
CLR No. : 11110988915
(हस्ताक्षर)

न्यायालय कलेक्टर सागर, जिला सागर (म.प्र.)

रा.प्र.क्रं.- 13/अ-20(4)/2023-24
मीजा- गुरैया प.ह.नं. 122
तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

!! आदेश !!


(पारित दिनांक 15/03/2024)

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0006/अ-20(3)/वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 12.11.2021 द्वारा ग्राम गुरैया पटवारी हल्का नंबर 122 रा.नि.मं. सुरखी तहसील व जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 590, 593, 594 रकवा क्रमशः 37.100, 40.000, 18.130 में से रकवा 12.30, 40.00, 18.13 कुल रकवा 70.43 हे. भूमि "आबचंद मध्यम परियोजना" के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग) को आवंटित की गई थी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के रा.प्र.क्रं. 0259/ ब-121/2023-24 एवं वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वनमंडल सागर से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम गुरैया स्थित गैर वनभूमि रकवा 70.430 हे. में से आवश्यक रकवा 54.590 हे. पर वन विभाग को कब्जा प्राप्त हो चुका है। शेष भूमि खसरा नंबर 590/2, 593, 594 रकवा क्रमशः 7.360, 5.680, 2.800 हे. कुल रकवा 15.84 हे. भूमि राजस्व विभाग में समायोजित किया जाना प्रतिवेदित किया गया।

प्राप्त प्रकरण "मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 18- राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना" के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति में रखे जाने हेतु नजूल अधिकारी सागर को भेजा गया।

जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक दिनांक 26.02.2024 को आयोजित की गई। बैठक में ग्राम गुरैया प.ह.नं. 122 रा.नि.मं. सुरखी तहसील सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 590 रकवा 37.100 हे. में से 12.30 हे., खसरा नंबर 593 रकवा 40.00 हे. में से रकवा 40.00 हे. एवं खसरा नंबर 594 रकवा 18.130 हे. में से रकवा 18.130 हे. कुल रकवा 70.43 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0006/अ-20(3)/वर्ष 2021-22 आदेश दिनांक 12.11.2021 द्वारा आबचंद मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग) को हस्तांतरित की गई थी। वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर के पत्र दिनांक 24.01.2024 द्वारा हस्तांतरित भूमि रकवा 70.43 हे. में से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु केवल 54.590 हे. भूमि की आवश्यकता होने से शेष रकवा 15.84 हे. भूमि वन विभाग से वापिस लेकर राजस्व विभाग के नाम दर्ज किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रदत्त की गई। अतः मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 18 - "राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना" अनुसार ग्राम गुरैया स्थित भूमि खसरा नंबर 590/2, 593, 594 रकवा क्रमशः 7.360, 5.680, 2.800 हे. कुल रकवा 15.84 हे. भूमि वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर (वन विभाग म.प्र. शासन भोपाल) से वापिस लेकर पुनः म.प्र. शासन (राजस्व विभाग) शासकीय दर्ज किये जाने का निर्णय लिया गया। नजूल अधिकारी सागर द्वारा प्रकरण अनंशासित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।



कलेक्टर
सागर

// 2 //

रा.प्र.क्रं. 13 /अ-20(4)/वर्ष 2024

अतः अनुविभागीय अधिकारी सागर एवं जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर निम्नानुसार भूमि :-

क्रं	ग्राम/तहसील का नाम	पटवारी हल्का नंबर	खसरा नंबर	वन विभाग को हस्तांतरित रकवा (हे. मे)	राजस्व विभाग में समायोजित किये जाने वाला रकवा (हे. मे)	विभाग
1	गुरैया/सागर	122	590/2 593 594	12.30 40.00 18.13	7.360 5.680 2.800	मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
कुल योग-				70.43	15.84	

को "मध्यप्रदेश नजूल निर्वर्तन निर्देश 2020 की कण्डिका 18 - "राज्य शासन को विहारी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना" अनुसार उपरोक्त हस्तांतरित रकवा 70.43 हे. में से अनुपयोगी भूमि रकवा 15.84 हे. वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर (म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल) से वापिस लेकर म.प्र. शासन (राजस्व विभाग) शासकीय राजस्व विभाग को वापिस करने का आदेश पारित किया जाता है।

(दीपक भारी)
कलेक्टर
जिला-सागर

सागर दिनांक 15/03/2024

पृ0क्रं0/2401 /री0कले0/2024
प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, दक्षिण वन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ।
2. नजूल अधिकारी सागर को सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर को मूल प्रकरण सहित आदेशानुसार पटवारी अभिलेख में दुरुस्ती उपरांत संशोधित खसरा की नकल सह प्रकरण इस न्यायालय को वापिस भेजने हेतु।
4. अधीक्षक भू-अभिलेख सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
5. नायब तहसीलदार, सुरखी जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग गढ़ाकोटा जिला सागर को सूचनार्थ।

मा.प्र.
9
वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण वन मण्डल, सागर
21/3/24



कलेक्टर
जिला-सागर